सं. 16/35/2016 - रा.भा.(सेवा)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय / राजभाषा विभाग

***

एन.डी.सी.सी. II बिल्डिंग, बी विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड़, नई दिल्ली – 110 001
दिनांक 9 मार्च 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशकों एवं उप निदेशकों के साथ दिनांक 20 फरवरी, 2017 को हुई बैठक का कार्यवृत्त |

सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में कार्यरत संयुक्त निदेशकों एवं उप निदेशकों की शासकीय कामकाज में आनेवाली समस्याओं और उनके समाधान के लिए दिनांक 20 फरवरी, 2017 को सचिव (राजभाषा) के कक्ष में आयोजित की गई बैठक के कार्यवृत की प्रति सूचना एवं भावी आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है |

2. अनुरोध है कि कार्यवृत में उल्लेखित मदों पर संबन्धित अधिकारी/ अनुभाग अपेक्षित कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई से सेवा अनुभाग को अवगत करवा दें |

संलग्नक: यथोपरि |

9.3.17
(यशपाल देवगन)
अवर सचिव (सेवा)
दूरभाष – 2343 8150

1. केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों / विभागों में कार्यरत केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक / उप निदेशक (सूची अनुसार)

प्रतिलिपि:

1. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ निजी सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली ।
2. सयुंक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली ।
3. निदेशक (प्रशासन / कार्यान्वयन) के निजी सचिव ।
4. गार्ड फाइल ।

सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशकों एवं उप निदेशकों के साथ दिनांक 20 फरवरी, 2017 को हुई बैठक का कार्यवृत्त

सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में दिनांक 20 फरवरी, 2017 को दोपहर 03-00 बजे केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में कार्यरत संयुक्त निदेशकों एवं उप निदेशकों की शासकीय कामकाज में आनेवाली समस्याओं और उनके समाधान के लिए बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

2. बैठक की शुरुआत सभी अधिकारियों के परिचय से हुई। इसके बाद सचिव (राजभाषा) ने बैठक में आए सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया एवं 06 जनवरी, 2017 को हुई बैठक में उपस्थित न होने के कारण जानने चाहे। सभी अधिकारियों ने 06.01.2017 को बैठक में अपने अनुपस्थित रहने के कारणों की जानकारी दी।

3. संयुक्त सचिव (रा.भा.) से सभी अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे अपना बायोडाटा श्री केवल कृष्ण, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक से संम्पर्क कर अद्यतन करवाएं।

4. इसके बाद प्रत्येक अधिकारी ने अपने संबन्धित मंत्रालय / विभाग में हिंदी के कार्यो से सम्बन्धित आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी दी।

5. इस संबंध में लगभग सभी अधिकारियों ने केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के रिक्त पदों को भरने हेतु अनुरोध किया। इस संबंद्ध में सचिव (राजभाषा) ने सेवा अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिए।

(कार्यवाही : सेवा अनुभाग)

6. श्री सुनील कुमार, संयुक्त निदेशक (पोत परिवहन मंत्रालय) ने सुझाव दिया कि राजभाषा विभाग में अन्य मंत्रालयों/ विभागों इत्यादि के उच्च अधिकारियों के स्तर पर बैठक होनी चाहिए।

7. सचिव (रा.भा.) से सभी अधिकारियों से जानना चाहा कि क्या अनुवाद के लिए कोई एजेंसी वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिकारियों से यह भी जानना चाहा कि उनके सचिव हिंदी में कार्य करने के लिए कितने सक्रिय हैं। सचिव महोदय ने सभी अधिकारियों से कहा कि आप सभी मंत्रालय / विभाग में हिंदी का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या आप अपने मंत्रालय/ विभाग के सचिव महोदय को हिंदी में काम करने की प्रेरणा दे रहे हैं। सचिव महोदय ने सभी अधिकारियों से हिंदी में काम करने का माहौल तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब तक आप स्वयंम हिन्दी में कार्य करने की प्रेरणा नहीं देंगे तब तक हिन्दी में भरपूर काम नहीं होगा। 90 प्रतिशत लोग हिन्दी भाषी हैं। हिन्दी के काम के लिए अधिकारियों का वर्गीकरण करना चाहिए कि कितने लोग हिन्दी में काम कर रहे हैं। जैसे 500 अधिकारियों/कर्मचारियों में से कितने लोग शुद्ध

हिन्दी में काम करते हैं। अनुभाग अधिकारी से लेकर अवर सचिव तक कितने लोग हिन्दी में टिप्पण आदि करते हैं । जनता की भाषा में जनता का काम करें । जितने पत्र हैं, प्रारुप हैं, नागरिक चार्टर, विज्ञापन हिन्दी में अनिवार्य रुप से होने चाहिए । अखबार में विज्ञापन हिन्दी और अग्रेजी दोनों भाषाओं में छपवाया जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि आप अपनी भूमिका किस रुप में देखते हैं । मंत्रालय/विभाग में 15 से 50 अधिकारियों को लीजिए, कितने अधिकारी हिन्दी में टिप्पण लिख रहे हैं, मूलत: पत्र बना रहे हैं । बहुत सारे लोग भत्ता ले रहे हैं, क्या वे हिन्दी में टाइप करते हैं । कुछ अधिकारी बताते हैं कि भेजे गए आंकड़े फर्जी हैं । जैसे "क" क्षेत्र के लिए पत्राचार 100 प्रतिशत हैं। आंकड़े 98 प्रतिशत 93 प्रतिशत दिए हैं जबकि सच्चाई ~~30 प्रतिशत~~ कुछ और है । आप लोग मुख्यालय के बाहर के कार्यालयों का निरीक्षण बहुत कम करते हैं । निरीक्षण का कम टारगेट अकल्पनीय है । जो सत्य है, आप वहीं आंकड़े दें । कितने सचिव, हिन्दी में टिप्पण लिख रहे हैं । सचिव महोदय ने सभी से इस तरह का माहौल तैयार करने का आग्रह किया कि मूलतः कार्य हिंदी में हो-हिंदुस्तानी में हो | उन्होंने कहा कि सचिव, अपर सचिव एवं संयुक्त सचिव स्तर की बैठकें अनिवार्य रूप से हिंदी में की जानी चाहिए | मासिक बैठकें हिंदी में होनी चाहियें, कार्यसूची हिंदी में बनानी चाहियें, कार्यवृत हिंदी में हों | सभी अधिकारियों को अनुवाद से मुक्त होकर गाइड की भूमिका निभानी चाहियें | अनुभाग अधिकारियों एवं अवर सचिवों को हिंदी में कार्य करने हेतु कहना चाहिये |

सचिव महोदय ने सयुंक्त सचिव (राजभाषा) को केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के पदों के पुनर्वितरण करने हेतु आकलन करने हेतु कहा | उन्होंने कहा कि बड़े बड़े मंत्रालयों / विभागों में स्टाफ दिया जाना चाहिये |

8. श्री राकेश कुमार, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) गृह मंत्रालय ने तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफोर्मा में "कुल" का कालम जोड़ने एवं "द्विभाषी" का कालम हटाने का सुझाव दिया | उन्होंने कहा कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट में टिप्पणियों में प्रतिशतता देखते हैं इससे वास्तविक आंकड़े नहीं आते हैं |

(कार्यवाही : श्री केवल कृष्ण, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक / एन आई सी एवं निदेशक (तकनीकी)

9. सुश्री दया पंत, संयुक्त निदेशक (विज्ञान एवं प्रोधोगिकी मंत्रालय) ने बताया कि उनके मंत्रालय में अनुवाद के कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है एवं कार्यान्वयन का कार्य वे नहीं कर पा रहे हैं | उन्होंने बताया कि उनका पूरा स्टाफ अनुवाद के कार्य में लगा रहता है एवं हिंदी अनुभाग को मुख्य रूप से अनुवाद के लिए समझा जाता है |

10. श्री आर पी सिंह, संयुक्त निदेशक (खान मंत्रालय) ने सुझाव दिया कि हिंदी कार्यान्वयन एवं हिंदी अनुवाद के लिये दो अलग अलग अनुभाग होने चाहियें |

इस पर सचिव महोदय ने कहा कि दो अनुभागों की नहीं, कार्यान्वयन पर ध्यान देने की आवश्यकता है | उन्होंने कहा कि अनुवादक आउटसोर्स किये जाने चाहियें | अनुवाद कार्य करने के रेट बढ़ाने हेतु एक कमिटी

बनानी चाहिए जिससे बड़ी हुई दरों पर अनुवादक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे एवं अनुवाद के काम का भार भी कम होगा |

11. श्री अब्दुल अजीज अंसारी, संयुक्त निदेशक (नागरिक विमानन महानिदेशालय) ने सुझाव दिया कि राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों / विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों को मूलरूप से काम हिंदी में करने हेतु लिखा जाना चाहिए | उन्होंने भी कहा कि हिंदी में काम करने की शुरुआत उच्च अधिकारियों से होनी चाहिए |

12. श्री यशपाल शर्मा, उप निदेशक (प्रशुल्क आयोग) ने भी कहा कि हिंदी का प्रचार प्रसार तभी होगा जब उच्च अधिकारियों को हिंदी आएगी और वे हिन्दी में काम करेंगे |

13. सुश्री सुवर्चा वासुदेव, उप निदेशक (आर्थिक कार्य विभाग) ने कहा कि बजट के कार्य की अधिकता की वजह से कार्यान्वयन हेतु समय नहीं मिलता है |

14. अंत में संयुक्त सचिव (रा.भा.) ने बताया कि मंत्रालयों / विभागों में रिक्त पदों को भरने हेतु कार्यवाही चल रही हैं | 31 कनिष्ठ अनुवादको के डोजियर राजभाषा विभाग में प्राप्त हो गए है जिनकी तैनाती शीघ्र ही कर दी जायेगी | 81 वरिष्ठ अनुवादको की पदोन्नति का प्रस्ताव हैं | अगर 02 कोर्ट केस विड्रो हो जाएं तो 26 सहायक निदेशक भी सीधी भर्ती से प्राप्त हो सकते हैं एवं 81 वरिष्ठ अनुवादकों को पदोन्नति भी मिल जायेगी | उन्होंने कहा कि विभाग तदर्थ पदोन्नति के खिलाफ है | केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव भी चल रहा है | उन्होंने तिमाही रिपोर्ट में संशोधन हेतु निदेशक (तकनीकी) के साथ बैठक कर रिपोर्ट 03 दिन के अन्दर देने हेतु कहा | सभी अधिकारियों से अनुरोध किया की वे अपना बायोडाटा वेबसाइट पर डाल दे एवं उसको अद्यतन रखें, जिसे बाद में सेवानिवृति के बाद में उपयोग में लिया जा सके |

(कार्यवाही : सेवा अनुभाग)

तदुपरांत, सचिव (राजभाषा) महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हुई|

सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशकों एवं उप निदेशकों के साथ दिनांक 20 फरवरी, 2017 को हुई बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची।

राजभाषा विभाग

1. डॉ बिपिन बिहारी, संयुक्त सचिव (राजभाषा)
2. श्री संदीप आर्य, निदेशक (प्रशासन)
3. श्री बी एल मीना, उप सचिव (सेवा)
4. श्री यश पाल देवगन, अवर सचिव (सेवा)

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग

1. श्री सुनील कुमार, संयुक्त निदेशक (पोत परिवहन मंत्रालय)
2. सुश्री दया पंत, संयुक्त निदेशक (विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्रालय)
3. श्री सत्य प्रकाश, तदर्थ संयुक्त निदेशक (दूरदर्शन महानिदेशालय)
4. डॉ0 आर.पी. सिंह, तदर्थ संयुक्त निदेशक (खान मंत्रालय)
5. श्री अब्दुल अजीज अंसारी, तदर्थ संयुक्त निदेशक (नागरिक विमानन महानिदेशालय)
6. श्री राकेश कुमार, तदर्थ संयुक्त निदेशक (गृह मंत्रालय)
7. डॉ0 श्रीप्रकाश शुक्ल, तदर्थ संयुक्त निदेशक (राजभाषा विभाग)
8. सुश्री आनंदी गोंसाई, उप निदेशक (राष्ट्रपति सचिवालय)
9. श्री यशपाल शर्मा, उप निदेशक (प्रशुल्क आयोग)
10. श्रीमती उर्मिला हरित, उप निदेशक (पत्र सूचना कार्यालय)
11. श्रीमती संतोष सिल्पोकर, उप निदेशक (वाणिज्य विभाग)
12. श्रीमती सुवर्चा वासुदेव, उप निदेशक (आर्थिक कार्य विभाग)
13. श्री जगदीश राम पौरी, उप निदेशक (भूमि संसाधन विभाग)
14. श्री पिस्ते लाल मीणा, उप निदेशक (विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय)
15. डॉ0 सतीश चन्द्र, उप निदेशक (मंत्रिमंडल सचिवालय)
16. श्री आनन्द कुमार, उप निदेशक (राजस्व विभाग)